☎ कार्यालय/फैक्स: 05966–222792
देहरादून–:0135–2759796
ई–मेल:missionhortiuk@gmail.com

निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड
उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत (अल्मोड़ा)

पत्रांक 2525/Fruit Plants Empanelment/2022–23 दिनांक:देहरादून:सितम्बर 25,2022

उच्च गुणवत्तायुक्त प्रजातिवार सब्जी/पुष्प पौधों (Open Pollinated/Hybrid) से कास्तकारों को लाभान्वित करने हेतु मान्यता प्राप्त/लाईसेन्स धारक पौंधालयों व सब्जी/पुष्प पौध उत्पादक फर्मों/कम्पनियों की दरों एवं विशिष्टियों के पंजीकरण (Empanelment) हेतु रूचि की अभिव्यक्ति (EoI) की सूचना।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड़ में संचालित विभिन्न केन्द्र पोषित, राज्य सैक्टर एवं जिला सैक्टर एवं अन्य योजनाओं में उच्च गुणवत्तायुक्त प्रजातिवार सब्जी/पुष्प पौधों (Open Pollinated/Hybrid) से कास्तकारों को लाभान्वित करने हेतु पौध रोपण के समय को दृष्टिगत रखते हुए अल्प कालीन (Short term) रूचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से मान्यता प्राप्त/लाईसेन्स धारक पौंधालयों व सब्जी/पुष्प उत्पादक फर्मों/कम्पनियों की दरों एवं विशिष्टियों के पंजीकरण (Empanelment) के लिये आवेदन दिनांक 06.10.2022, अपराह्न 05:00 बजे तक आमन्त्रित की जाती है। जिसे विभागीय समिति द्वारा दिनांक 07.10.2022, प्रातः 11:00 बजे कार्यालय निदेशक बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून में खोला जाएगा तथा उसी दिन नर्सरी स्वामियों/प्रतिनिधियों के साथ मोल–भाव (Negotiation) हेतु बैठक की जाएगी। पंजीकरण हेतु निर्धारित शर्तें, प्रतिबन्ध व निर्धारित प्रारूप बागवानी मिशन की वेबसाईट www.shm.uk.gov.in से डाउनलोड किये जा सकते है।

(डा0 हरमिन्दर सिंह बवेजा)
निदेशक, उद्यान

☎ कार्यालय/फैक्सः 05966–222792
देहरादूनः–0135–2759796
ई–मेलःmissionhortiuk@gmail.com

निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड
उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत (अल्मोड़ा)

उच्च गुणवत्तायुक्त प्रजातिवार सब्जी पौधों (Open Pollinated/Hybrid) से कास्तकारों को लाभान्वित करने हेतु मान्यता प्राप्त/लाईसेन्स धारक पौधालयों व सब्जी/पुष्प पौध उत्पादक फर्मों/कम्पनियों की दरों एवं विशिष्टियों के पंजीकरण (Empanelment) हेतु रूचि की अभिव्यक्ति (EoI) की शर्तें व प्रतिबन्ध

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड़ में संचालित विभिन्न केन्द्र पोषित, राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में उच्च गुणवत्तायुक्त प्रजातिवार सब्जी/पुष्प पौधों (Open Pollinated/Hybrid) से कास्तकारों को लाभान्वित करने हेतु राज्य सरकार से लाईसेन्स धारक/NHB से मान्यता प्राप्त पौधालयों व सब्जी/पुष्प पौध उत्पादक फर्मो/कम्पनियों की दरों एवं विशिष्टियों के पंजीकरण के लिये रूचि की अभिव्यक्ति (EoI) के माध्यम से आवेदन आमन्त्रित किये जाते है। उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों के पंजीकरण हेतु शर्तें को प्रतिबंध निम्नानुसार हैः–

1. पंजीकरण हेतु आवेदन दिनांक 31.03.2023 तक के लिए आमंत्रित किए जा रहे हैं।
2. पंजीकरण हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप पर करना होगा। **आवेदन के प्रारूप तकनीकी प्रपत्र–1** के साथ आवेदन शुल्क के रूप में बैंक का ड्राफ्ट रू0 2,360.00 (18 % GST सहित) जो निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड के नाम रानीखेत में देय हो, संलग्न करना होगा।
3. **वित्तीय प्रपत्र–2 के** अलग लिफाफे में मुहर बन्द हो, जिसे आवेदन के साथ जमा करना होगा।
4. पंजीकरण हेतु बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद रू0 2.00 लाख, वैधता तिथि 31.03.2023 जो निदेशक, उद्यान, उत्तराखण्ड़ के नाम बन्धक हो, आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
5. पंजीकरण हेतु आवेदन का प्रारूप व निर्धारित शर्तें बागवानी मिशन की वेबसाईट www.shm.uk.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।
6. आवेदन प्रपत्र बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा, जिसके ऊपर **"उच्च गुणवत्तायुक्त प्रजातिवार सब्जी/पुष्प पौधों (Open Pollinated/Hybrid) के पंजीकरण हेतु आवेदन"** अंकित हो, आवेदन दिनांक 06.10.2022 को सांय 05:00 बजे तक कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड़, राजकीय उद्यान, सर्किट हाऊस, देहरादून मे जमा किये जा सकते है।
7. विभाग द्वारा गठित समिति के द्वारा दिनांक 07.10.2022 को प्रातः 11:00 बजे पंजीकरण हेतु प्राप्त लिफाफों को खोला जायेगा। उसी दिन पौधालयों के स्वामी/प्रतिनिधियों से मोल–भाव (Negotiation) हेतु बैठक की जायेगी।
8. NHB से मान्यता प्राप्त (Accredited) व राज्य सरकार से लाईसेन्स धारक पौंधालयों व सब्जी/पुष्प पौध उत्पादक फर्मों/कम्पनियों द्वारा उपलब्ध कराये गये, अनिवार्य अभिलेखो की वैधता तिथि समाप्त होने की स्थिति में सम्बन्धित नवीनीकृत अभिलेख समय पर विभाग को प्रस्तुत किये जाने होगे। नवीनीकृत अभिलेख उपलब्ध न कराने की दशा में पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा या निरस्त समझा जायेगा।
9. पंजीकृत पौधालयों को उच्च गुणवत्तायुक्त प्रजातिवार सब्जी/पुष्प पौधों (Open Pollinated/Hybrid) की आपूर्ति हेतु भारत सरकार के नर्सरी एक्ट व उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों एंव नियमों का पालन करना होगा।
10. आवेदन प्रपत्र के साथ केवल वांछित प्रपत्र ही प्रस्तुत किये जायें, आवेदन के साथ उच्च गुणवत्तायुक्त प्रजातिवार सब्जी/पुष्प पौधों (Open Pollinated/Hybrid) का साहित्य संलग्न न किया जाय। पौंधालयों/फर्मों/कम्पनियों के द्वारा साहित्य को कार्यालय के संबंधित पटल सहायक/अधिकारी को अलग से उपलब्ध कराया जाय।

11. दरों के पंजीकरण के पश्चात् सब्जी/पुष्प पौधों की आपूर्ति के समय जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा सब्जी/पुष्प पौधों की गुणवत्ता, रोगरहित होने व मानक आदि के सम्बन्ध में सत्यापन किया जायेगा। सत्यापन उपरान्त सन्तोषजनक आख्या उपलब्ध कराने पर ही सब्जी/पुष्प पौधों की धनराशि का भुगतान सम्बन्धित जनपदीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

12. प्रत्येक पैकिंग के क्रेट पर उच्च गुणवत्तायुक्त प्रजातिवार सब्जी/पुष्प पौधों (Open Pollinated/Hybrid) पर हैण्डलिगं (रखरखाव) तथा यातायात में आसानी से नहीं हटने वाले लेवल का उपयोग किया जायेगा, जिसमें सब्जी/पुष्प पौंध का नाम, प्रजाति का नाम, पौध उत्पादन हेतु बोये गये बीजों की कम्पनी का नाम व पौधालय/फर्म/कम्पनी का नाम अंकित करना होगा।

लेबल का नमूना–

विवरण	अंकित किया जाय	विवरण	अंकित किया जाय
मान्यता प्राप्त (Accredited) या राज्य सरकार से लाईसेन्स धारक पौधालय/फर्म/कम्पनी का नाम व पता–	....	**सब्जी/पुष्प पौंध का नाम व प्रजाति–**	....
बोये गए बीज उत्पादक कम्पनी का नाम	....	**कीट व्याधि के रोकथाम हेतु प्रयोग किए गए कीट व्याधिनाशक का नाम व उपचार की तिथि–**	....
रोग एवं व्याधि से मुक्त है या नहीं–	....	**आपूर्ती के समय पौधों की उम्र दिनों में**	....

13. पंजीकरण हेतु EoI प्रक्रिया की तिथि व समय में बिना कारण बताए परिवर्तन/संशोधन (आंशिक या पूर्ण) या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार निदेशक, उद्यान, उत्तराखण्ड का होगा। किसी विवाद की स्थिति मे निदेशक, उद्यान, उत्तराखण्ड का निर्णय अन्तिम होगा तथा वाद का क्षेत्र देहरादून न्यायालय होगा।

14. पंजीकरण की व्यवस्था को बिना कारण बताये किसी भी समय नवीनीकरण अथवा निरस्त करने की कार्यवाही का अधिकार निदेशक, उद्यान, उत्तराखण्ड को होगा।

15. **मुख्य/जिला उद्यान अधिकारियों/उद्यान विशेषज्ञ, कोटद्वार से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कास्तकार अपनी आवश्यकतानुसार पंजीकृत किसी भी पौधालय/फर्म/कम्पनी से पौधे क्रय करने को स्वतन्त्र होगा। कास्तकार के लिखित अनुरोध पर ही सम्बन्धित अधिकारियों के द्वारा भी कास्तकारों को उच्चगुणवत्तायुक्त पौधे उपलब्ध कराये जा सकते है। विभाग में पंजीकृत पौंधालयों से उच्च गुणवत्तायुक्त प्रजातिवार सब्जी/पुष्प पौधों (Open Pollinated/Hybrid) का क्रय कास्तकारों द्वारा स्वंय किया जाता है तो पौधों का सक्षम स्तर से भौतिक सत्यापन करने के उपरान्त ही बिल/बाउचर प्राप्त होने पर नियमानुसार राजसहायता का भुगतान सम्बन्धित कास्तकार के बैंक खाते में DBT/RTGS के द्वारा किया जायेगा। कास्तकारों के लिखित अनुरोध पर ही नर्सरी को DBT/RTGS के माध्यम से भुगतान किया जा सकेगा।**

16. आवेदनकर्ता पौंधालयों/फर्म/कम्पनी द्वारा समस्त अभिलेख स्वप्रमाणित प्रस्तुत करने होगें तथा पंजीकरण हेतु निधारित शर्तो पर सहमति हेतु पौंधालय/फर्म/कम्पनी के स्वामी या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर एवं मुहर होना आवश्यक है।

17. भारत सरकार अथवा उत्तराखण्ड राज्य द्वारा यदि टैक्स/ड्यूटीज आदि प्रदत्त सुविधा में कोई कटौती अथवा बढ़ोत्तरी/परिवर्तन किया जाता है तो पौंधालय/फर्म/कम्पनी के स्वामी का यह दायित्व होगा कि वह इसकी सूचना निदेशक, उद्यान, उत्तराखण्ड़ को तत्काल उपलब्ध करायेगें।

–3–

18. पंजीकरण उपरान्त पौंधालय/फर्म/कम्पनी को उच्च गुणवत्तायुक्त प्रजातिवार सब्जी पौधों (Open Pollinated/Hybrid) के रोपण एवं उचित परिणाम प्राप्त करने हेतु तकनीकी प्रशिक्षण चयनित कास्तकारों व विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को निःशुल्क प्रदान करना होगा तथा तकनीकी साहित्य निःशुल्क प्रदान करना होगा।
19. पंजीकरण की अवधि के दौरान यदि पौंधालय/फर्म/कम्पनी द्वारा आपूर्ति/विक्रय किए गए उच्च गुणवत्तायुक्त प्रजातिवार सब्जी/पुष्प पौधों (Open Pollinated/Hybriक) की गुणवत्ता के सम्बन्ध में शिकायत मिलने पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जाएगी तथा बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद की धनराशि भी जब्त की जा सकती है, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पौंधालय/फर्म/कम्पनी की होगी।
20. यदि प्राधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई पौंधालय/फर्म/कम्पनी अनुचित कार्यों में लिप्त है तो उस पौंधालय/फर्म/कम्पनी का पंजीकरण निरस्त कर विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
21. पौंधालय/फर्म/कम्पनी को किसानों की आवश्यकतानुसार उच्च गुणवत्तायुक्त प्रजातिवार सब्जी/पुष्प पौधों (Open Pollinated/Hybrid) की आपूर्ति में कोई आपत्ति नहीं होगी।
22. कास्तकारों तथा विभागीय अधिकारियों द्वारा पंजीकृत दरों से कम दरों पर आपूर्ति हेतु पौंधालय/फर्म/कम्पनी के स्वामी या प्रतिनिधियों से मोल–भाव (Negotiation) किया जा सकता है।
23. औद्यानिक फसलों का उत्पादन मौसम आधारित होने के दृष्टिगत जनपदीय अधिकारियों/कास्तकारों को निर्धारित समयान्तर्गत उच्च गुणवत्तायुक्त प्रजातिवार सब्जी पौधों (Open Pollinated/Hybrid) आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी।
24. उच्च गुणवत्तायुक्त प्रजातिवार सब्जी/पुष्प पौधों (Open Pollinated/Hybrid) के मानक व प्रोटोकॉल निम्नानुसार होगें।
    - **a.** पौधों की वास्तविक किस्म (True To Type) उच्च गुणवत्तायुक्त एवं रोग व विषाणु रहित हो, की सत्यता के लिये पौंधालय/फर्म/कम्पनी स्वामी से रू0 100.00 नोटेराईज्ड़ स्टाम्प पेपर पर शपथ लेनी होगी, ताकि सब्जी/पुष्प पौध रोपण सामग्री, गुणवत्तायुक्त एवं रोग व विषाणु रहित नहीं पाये जाने पर पौंधालय/फर्म/कम्पनी स्वामी के विरूद्ध विभागीय/वैधानिक कार्यवाही की जा सके।
    - **b.** उच्च गुणवत्तायुक्त पौधों के उत्पादन में उच्चगुणवत्ता के ट्रे व गत्ते का बॉक्स (Cardboard Box) का प्रयोग करना होगा ताकि ढुलान के समय पौधों को नुकसान न हो। यदि ढुलान में पौधों का नुकसान होता है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी पौंधालय/फर्म/कम्पनी स्वामी की होगी।
    - **c.** पौधालय स्वामी/फर्म/कम्पनी से सब्जी/पुष्प पौध उठान से पूर्व प्रजाति की सत्यता पूर्णतः सत्यापित कर लिया जाय। पौधों के बिल प्रजाति के अनुसार ही तैयार किया जाय। तद्नुसार ही कृषकों को प्रजाति के विवरण सहित सब्जी/पुष्प पौंध उपलब्ध कराते हुये अभिलेख अनुरक्षित रखे जाय, ताकि विश्वसनीयता बनी रहे।
    - **d.** सब्जी/पुष्प पौंध रोपण कार्य की वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी अनिवार्य रूप से की जायेगी, जिसे जनपद मुख्यालय पर अनुरक्षित किया जायेगा।
    - **e.** उच्चगुणवत्तायुक्त सब्जी/पुष्प पौधों में 05 से 06 पत्तियॉ होना आवश्यक है। पौधों के तने की लम्बाई 08 से 10 से0मी0। पौधों का तना Strong and Woody होना आवश्यक है।
    - **f.** पौधों की पत्तियों पर फनगस/वाईरस/बैक्ट्रिया जनित किसी भी प्रकार का दाग नहीं होना चाहिए।
    - **g.** पौधों की जड़े स्वस्थ व सफेद रंग की होनी चाहिए व जड़े मिडिया में पूर्ण रूप से फैली हो।
    - **h.** पौधें Soil Less Media में तैयार करने होगे।
    - **i.** उच्चगुणवत्तायुक्त Root trainer का प्रयोग करना होगा।
    - **j.** सब्जी/पुष्प पौध की उम्र मानक के अनुसार होना आवश्यक है। मानक से कम दिनों या अधिक दिनों की पौधों की आपूर्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। रोपड़ के समय कुछ पौधों की उम्र निम्नानुसार अवगत कराई जा रही है।
      शिमला मिर्च 35 दिन, टमाटर 30 दिन, बैगन 25 से 30 दिन, गोभी वर्गीय 25 दिन, पतली मिर्च 30 से 35 दिन, कद्दू वर्गीय 25 दिन, पॉलीहाउस के अन्दर खीरा 14 से 16 दिन, खुले में खीरा 20 से 22 दिन।
    - **k.** मॉग के अतिरिक्त 05 प्रतिशत अधिक पौधों की आपूर्ती करनी होगी।
    - **l.** No Lodging of Terminal Portion

निदेशक, उद्यान

☎ कार्यालय/फैक्सः 05966–222792
देहरादूनः–0135–2759796
ई–मेलःmissionhortiuk@gmail.com

निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड
उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत (अल्मोड़ा)

उच्च गुणवत्तायुक्त प्रजातिवार सब्जी पौधों (Open Pollinated/Hybrid) से कास्तकारों को लाभान्वित करने हेतु NHB से मान्यता प्राप्त/लाईसेन्स धारक पौंधालय/ पौध उत्पादक फर्म/कम्पनीयों के दरों एवं विशिष्टियों के पंजीकरण (Empanelment) हेतु रूचि की अभिव्यक्ति (EoI) हेतु आवश्यक अभिलेख

प्रपत्र–1 तकनीकी बिड

क्र. सं	विवरण	आवश्यक अभिलेख का पृष्ठ संख्या
1	आवेदकर्ता पौंधालय/फर्म/कम्पनी की प्रोफाईल, नाम, पता व ई0मेल– (पौधालय के पैड पर स्पष्ट लिखा होना अनिवार्य है)	
2	रूचि की अभिव्यक्ति (EoI) हेतु प्रक्रिया शुल्क की धनराशि का विवरण – बैंक ड्राफ्ट संख्या................ दिनाकं.................. धनराशि रू0 2360.00 निदेशक उद्यान चौबटिया, रानीखेत के नाम देय हो।	
3	बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद जो निदेशक, उद्यान, उत्तराखण्ड के नाम बन्धक हो, का विवरण– बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद संख्या............................. बैंक का नाम.. ....वैधता तिथि..................................धनराशि रू0 2.00 लाख	
4	पौंधालय/फर्म/कम्पनी के लाईसेन्स की छायाप्रति। (यदि लागू है तों)	
5	पौंधालय/फर्म/कम्पनी द्वारा उच्च गुणवत्तायुक्त पौधों के उत्पादन एवं आपूर्ति का न्यूनतम 2 वर्षों का का अनुभव प्रमाण पत्र या साक्ष्य संलग्न करना होगा।	
6	पौंधालय/फर्म/कम्पनी के विरूद्ध किसी प्रदेश में आपूर्ति से सम्बन्धित कोई विवाद/विधिक, अपराधिक कार्यवाही अथवा ब्लैकलिस्ट किया गया हो, जैसी भी स्थिति हो सूचित करते हुए शपथ पत्र रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर मूल रूप मे जमा करना होगा (विवादित न होने का शपथ पत्र)।	
7	उच्च गुणवत्तायुक्त प्रजातिवार सब्जी पौधों (Open Pollinated/Hybrid) की आपूर्ति के पश्चात् उच्च गुणवत्तायुक्त सब्जी पौधों की प्रजातिवार एवं उत्पादन की गारन्टी/वारन्टी प्रदान करनी होगी। उच्च गुणवत्तायुक्त प्रजातिवार सब्जी पौधों (Open Pollinated/Hybrid) का उत्पादन मानकानुसार प्राप्त नहीं होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी तथा पौधालय को ब्लैक लिस्ट कर बैंक गारन्टी जब्त करने की कार्यवाही की जा सकती है। उपरोक्त के सम्बन्ध में घोषणा पत्र संलग्न करनी होगी।	
8	उत्तराखण्ड के समस्त जनपदों में एक समान दरों पर उच्च गुणवत्तायुक्त प्रजातिवार सब्जी पौधों (Open Pollinated/Hybrid) की आपूर्ति (मूल दर + GST) F.O.R. (डेस्टीनेशन) सहित देनी होगी, जिसके सम्बन्ध में आवेदक पौधालय/फर्म/कम्पनी को अपने पैड पर लिखित सहमति देनी होगी।	
9	पौंधालय/फर्म/कम्पनी द्वारा पिछले 02 वर्षों के दौरान लाभान्वित किये गये किसानों में से में कम से कम 10 किसानों के नाम, पता व मोबाईल नम्बर, उच्च गुणवत्तायुक्त प्रजातिवार सब्जी पौधों (Open Pollinated/Hybrid) का नाम, पौधों की संख्या, रोपण का वर्ष व सब्जी पौधों का परिणाम/उत्पादन सहित सूची संलग्न करनी होगी।	

97

10	पौधालय/फर्म/कम्पनी को रू0 100.00 के नोटेराईज्ड स्टाम्प पेपर पर शपथ पूर्वक अवगत कराना होगा कि पंजीकरण हेतु दी जा रही दरें न्यूनतम हैं। दी गई दरों से कम दरों पर उनके द्वारा किसी अन्य राज्य/विभाग/संस्था को उच्च गुणवत्तायुक्त सब्जी पौधों की आपूर्ति नहीं की जा रही है तथा पंजीकरण की अवधि में भी नहीं की जायेगी।	
11	पौधालय/फर्म/कम्पनी द्वारा लीगल क्षेत्र उत्तराखण्ड राज्य के अन्तगर्त देहरादून होगा (जिसके सम्बन्ध में पौधालय के पैड पर लिखित सहमति देनी होगी)	
12	पौधालय/फर्म/कम्पनी द्वारा पंजीकरण उपरान्त उच्च गुणवत्तायुक्त प्रजातिवार सब्जी पौधों (Open Pollinated/Hybrid) के रोपण की तकनीकी प्रशिक्षण चयनित कास्तकारों व विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को नि;शुल्क प्रदान करना होगा (इस आशय का स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र)	
13	पौधालय/फर्म/कम्पनी द्वारा विक्रय किए गए उच्च गुणवत्तायुक्त प्रजातिवार सब्जी पौधों (Open Pollinated/Hybrid) की गुणवत्ता के सम्बन्ध में शिकायत मिलने पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जाएगी (सहमति सम्बन्धी स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र)	
14	वित्तीय प्रपत्र –02 की Soft Copy	

नोट – उपरोक्त सभी कालम पूर्ण रूप से स्वयं अथवा प्राधिकृतकर्ता द्वारा भरे जाने होगें। रूचि की अभिव्यक्ति (EoI) के साथ अनावश्यक प्रपत्र संलग्न न किये जाये। आवेदनकर्ता पौंधालय/फर्म/कम्पनी के स्वामी द्वारा समस्त अभिलेख स्वयं प्रमाणित कर संलग्न करने होगें तथा पंजीकरण हेतु निर्धारित शर्तों पर सहमति हेतु पौंधालय/फर्म/कम्पनी के स्वामी या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर एवं मुहर होना आवश्यक है। संलग्न अभिलेखों में क्रमांक लिखना आवश्यक है। संलग्न प्रपत्र का क्रमांक तकनीकी प्रपत्र में भी लिखना आवश्यक है।

शपथ पत्र– मेरे द्वारा उपरोक्त रूची की अभिव्यक्ति (EoI) की समस्त शर्तो एंव प्रतिबन्धो का अध्ययन कर लिया गया है तथा उक्त सभी शर्तो पर अपनी पूर्णतः सहमति प्रदान करता हूँ।

पौंधालय/फर्म/कम्पनी के स्वामी या अधिकृत
प्रतिनिधि के हस्ताक्षर व मुहर, नाम व पता सहित
मो0 न0 व ई–मेल

☎ कार्यालय/फैक्स: 05966–222792
देहरादून:–0135–2759796
ई–मेल:missionhortiuk@gmail.com

निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड
उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत (अल्मोड़ा)

उच्च गुणवत्तायुक्त प्रजातिवार सब्जी/पुष्प पौधों (Open Pollinated/Hybrid) से कास्तकारों को लाभान्वित करने हेतु पौंधालय/फर्म/कम्पनी के दरें प्रस्तुत करने हेतु

प्रारूप–2 का वित्तीय प्रपत्र

1- Only for Hybrid Plants

क0 सं0	पौध का नाम	प्रजाति का नाम	पौध उत्पादन हेतु बोये गये बीज की कम्पनी का नाम	दर (प्रति पौधा) (including all tax & FoR Destination)
01	03	04		06

नोट:– वित्तीय प्रपत्र की साफ्ट कॉपी भी उपलब्ध करानी आवश्यक है।

पौंधालय/फर्म/कम्पनी का नाम व पूर्ण पता..

पौंधालय/फर्म/कम्पनी के स्वामी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर...............................

पौंधालय/फर्म/कम्पनी के स्वामी प्रतिनिधि का नाम..................................

पौंधालय/फर्म/कम्पनी की मुहर..

☎ कार्यालय/फैक्सः 05966–222792
देहरादूनः–0135–2759796
ई–मेलःmissionhortiuk@gmail.com

निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड
उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत (अल्मोड़ा)

<u>उच्च गुणवत्तायुक्त प्रजातिवार सब्जी/पुष्प पौधों (Open Pollinated/Hybrid) से कास्तकारों को लाभान्वित करने हेतु पौंधालय/फर्म/कम्पनी के दरें प्रस्तुत करने हेतु</u>

<u>प्रारूप–2 का वित्तीय प्रपत्र</u>

2- Only for Open Pollinated Plants

क्र0 सं0	पौध का नाम	प्रजाति का नाम	पौध उत्पादन हेतु बोये गये बीज की कम्पनी का नाम	दर (प्रति पौधा) (including all tax & FoR Destination)
01	03	04		06

नोटः– वित्तीय प्रपत्र की साफ्ट कॉपी भी उपलब्ध करानी आवश्यक है।

पौंधालय/फर्म/कम्पनी का नाम व पूर्ण पता...

पौंधालय/फर्म/कम्पनी के स्वामी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर...............................

पौंधालय/फर्म/कम्पनी के स्वामी प्रतिनिधि का नाम..................................

पौंधालय/फर्म/कम्पनी की मुहर.......................................